संख्या-174/2016/आर-3759/26-3-2016-28(रिट)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर 2016

विषयः- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-17461(एम.एस.)/2016 शिवानी तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-08.08.2016/09.08.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2151/स.क./शिक्षा-अ/लखनऊ, 2016-17, दिनांक-03.09.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-08.08.2016/09.08.2016 के अनुपालन में याची छात्रा की वर्ष 2015-16 की सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की ट्रान्जेक्शन फेल्योर की धनराशि रूपये-54,770.00/-(रूपये चौवन हजार सात सौ सत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत कर आपके निर्वतन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-08.08.2016/09.08.2016 के अनुपालन में याची छात्रा के प्रत्यावेदन को सकारण स्वमुखरित आदेश द्वारा अपने स्तर से निस्तारित करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-174/2016/आर-3759/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, को उक्त याचिका संख्या-17461(एम.एस.)/2016 में पारित आदेश दिनांक-08.08.2016/09.08.2016 के सन्दर्भ में।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in